रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2019/पौष 18, 1940
No. 105] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2019/PAUSHA 18, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2019

का.आ. 110(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 230 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को तारीख 15 जनवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जिला मुख्यालय चंदौली से 65 किलोमीटर और वाराणसी से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा 96.066 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा का निर्धारण चकिया-नौगढ़ रोड से होता है। दक्षिणी सीमा पर चंद्रप्रभा बांध, चंद्रप्रभा नदी और पंटा नदी के बांए किनारे हैं। अभयारण्य की पूर्वी सीमा मिर्जापुर वन संभाग की सीमा को छूती है। उत्तरी सीमा में जैमोहिनी श्रेणी के आरक्षित वन और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य का संरक्षित क्षेत्र है। यह क्षेत्र वन्यजीवों की कई प्रजातियों चित्तीदार लकड़बग्घा(*हैना हैना*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्यूस*),

रीछ(*मेलउर्सुस उर्सिनस*), बनबिलार (फैलिस चाउस*),* छोटा इंडियन सिविट (विवेर्रीकुला इंडिका), सामान्य नेवला (हेरपेस्टेस इडुवारडसि*),* इंडियन नेवला (हेरपेस्टेस अउरोपुंकटुस*),* भेडिया (कैनिस लुपस*),* सियार (कैनिस अयरेनुस),इंडियन लोमड़ी (वुलपेस बेंगलेंसिस*),* बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), चितल (एक्सिस एक्सिस), चींकारा या भारतीय गजेल्ला *(गजेल्ला गजेल्ला),* सांभर (*रूसा यूनीकोर्लर*), चौसिंगा मृग *(टेटराकेरूस क्यूदरीकोरनीस),* नीलगाय या ब्लू बुल *(बोसेलाफुस टरागोसेमेलुस)*, घरियाल *(गवीअलीस गंगेटीकूस)*, रांक पायथन *(पायथन मूलुरूस)* आदि से समृद्ध है और अभयारण्य में लगभग 200 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। अभयारण्य में दो सुन्दर जल-प्रपात हैं जिन्हें राजदरी और देवदरी कहा जाता है। यह, अभयारण्य बबूल (अकैशिया निलोटीका*),* अकैशिया (अकैसिया अररिकुलिफोरमिस*),* कसहो (अकैशिया कटेचु*),* वाइट बार्क अकैशिया (अकैशिया लेउकोफलोयिया*),* हल्दु (अधीना कोरदीफोलिया*),*बेंल (ऐगले मारमेलोस*),* अदुसा (अधुटोडा वसिका*),* केंटुरय पलांट (अगवे अमेरिकनस*),* सिसल (अगवे सिस्सालानिया*),* सतवार (असपरागुस रेकेमोसूस*),* हींगोट (बलानिटेस*)* आदि जैसी पौधों की प्रजातियों से समृद्ध है;

और, पूर्व में यह क्षेत्र एक समुद्री तट और चंदौली जिले के ग्रामों की दलदलीय राजस्व अपशिष्ट भूमि थी, और लवणता वृद्धि को रोकने और भूमि को सुधारने के लिए पूर्ववर्ती संत कबीर राज्य और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने तट पर एक सुधार बांध का निर्माण किया ,जिसका अतीत में विद्यमान स्थिति में, उल्लेखनीय रूप से बदलाव और सुधार करके मीठे पानी के बड़े तालाब का रूप दिया गया और बदले में यह विभिन्न प्राकृतिक जलीय वनस्पतियों और इस क्षेत्र में कई प्रवासी और निवासी पक्षियों को आश्रय देता है और यह उनके ठहरने और बसेरे के लिए भी उपयुक्त है; चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 1957 (उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है) जी.ओ.सं.263 तारीख 28.02.1957 को बनाया गया था।

और, चंद्रप्रभा की आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी-प्रणाली में शीत ऋतु में पलारक्टिक क्षेत्र से प्रवासी जलमुर्गियां आती है और यह आर्द्रभूमि पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय–स्थल और प्रजनन भूमि के रूप में कार्य करती है; और इस अभयारण्य में भारत के एक असामान्य ब्रीडर, ग्रेट क्रस्टेड ग्रेबे, (*पोडिसप्स क्रिस्टटस*), द्वारा प्रजनन की सूचना है;

और, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में संत कबीर नगर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 1 किलोमीटर तक विस्तृत है के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 45.551 वर्ग किलोमीटर है।

(2) चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(**3**) चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र उसकी सीमाओं के ब्यौरे तथा अक्षांशों और देशांतरो के साथ, **उपाबंध-II क, उपाबंध II ख और उपाबंध- II ग** के रुप में उपाबंध है।

(4) चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III क और उपाबंध III ख** में दिये गये हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले पांच ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबंध हैं ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए है के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी । इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण अनुसमर्थित होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) उक्त महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को इस प्रकार विनियमित करेगी जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकुल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक है जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन में ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अंतर्गत दिया गया संवर्धित क्रियाकलाप है:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार आंचलिक महायोजना के लिए होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या सैरगाह या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस

अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजना तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन समय समय से बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के और उसके अधीन समय समय से बनाए गए संशोधित नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन समय समय से बनाए गए संशोधित नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव अवक्रमणीय और अजैव अवक्रमणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;

(ग) जैव अवक्रमणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना

सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भीतर कोई भी नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 के जारी दिशानिर्देशों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो इसके अतिरिक्त गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अधीन बनाये गये नियमो और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें

		निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । परंतु, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।

9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल बिछाए जाने को प्रोत्साहित जाएगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ विनियमित होंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

	जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्ध उद्योग, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित जल निकायों में बहिर्स्राव के अपशिष्ट जल निस्सारण से बचा जाएगा। और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाना है।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या का जीर्णोद्धार ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति—केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

1.	जिला मजिस्ट्रेट, चंदौली	-अध्यक्ष;
2.	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंदौली	–सदस्य;
3.	पर्यावरण, जिसके अंतर्गत (विरासत संरक्षण भी है), के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
4.	लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, चंदौली	–सदस्य;
5.	पारिस्थितिकी विशेषज्ञ	–सदस्य;
6.	जैव विविधता विशेषज्ञ	–सदस्य;
7.	सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता, चंदौली	–सदस्य;
8.	जिला कृषि अधिकारी, चंदौली	–सदस्य;
9.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,जिला चंदौली	–सदस्य;
10.	संभागीय वन अधिकारी, काशी वन्यजीव संभाग, रामनगर, वाराणसी	–सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:—(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. **अतिरिक्त उपाय:** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. उच्चतम न्यायालय के आदेश.—इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/37/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा का विवरण

उत्तर : पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित वन के उ 25°58`09.46``उ 83°03'42.79" पू से आरंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में जाती है और फिर चंद्रप्रभा नदी के जीपीएस बिंदु 24°.58`48.78" **उ** 83°10'15.78"पू**.** पर पहुंचती है।

पूर्व : यह उपरोक्त बिंदु से चकिया**-**नौगढ मैटल सड़क **(**एस एच**- 97)** के जीपीएस बिंदु 24°57`42.06" उ 83°11'29.85" पू पर जाकर पूर्व- दक्षिण दिशा की ओर जाती है और फिर यह जमशोती ग्राम के जीपीएस बिंदु 24° 57`14.94 उ और 83°11'43.50 पू" पर पहुंचती है।

दक्षिण: यह उपरोक्त बिंदु से हीनौतघाट ग्राम के जीपीएस बिंदु 24°54'48.78 उ**"** 83°09'48.30" पू के साथ दक्षिण की ओर जाती है। फिर यह समेरिया ग्राम के जीपीएस बिंदु 24°.53'53.34"उ और 83°.07'5436 पू" पर पहुंचती है और दक्षिण दिशा में जाकर यह खुथहर ग्राम के जीपीएस बिंदु 24°53'38.28" उ और 83°07'52.86" पू पर पहुंचती है। इसके बाद यह सीमा चंद्रप्रभा बांध के जीपीएस बिंदु 24°53'43.90" उ 83°08'35.90" पू. से होकर गुजरती है।

पश्चिम: उपरोक्त बिंदु से यह खनेजमपुर के जीपीएस बिंदु 24°53'5946"उ 83°04'2046"उ पर दक्षिण**-**पश्चिम दिशा में जाती है और पश्चिम**-**उत्तर दिशा में जाकर यह सुकरित ग्राम के जीपीएस बिंदु 24°54'36.97"उ 83°04'01.95"पू पर पहुंचती है। इसके बाद रेखा जीपीएस बिंदु 24°55'50.93"उ 83°03'20.31"पू और 24°56'03.41"उ 83°03'53.47"पू पर मिर्जापुर नलभाग के आरक्षित वन के साथ जाती है। इसके बाद**,** अंतरराज्यीय सीमा के साथ जाकर यह आरंभिक बिंदु पर पहुंचती है।

उपाबंध II क

भारतीय के सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

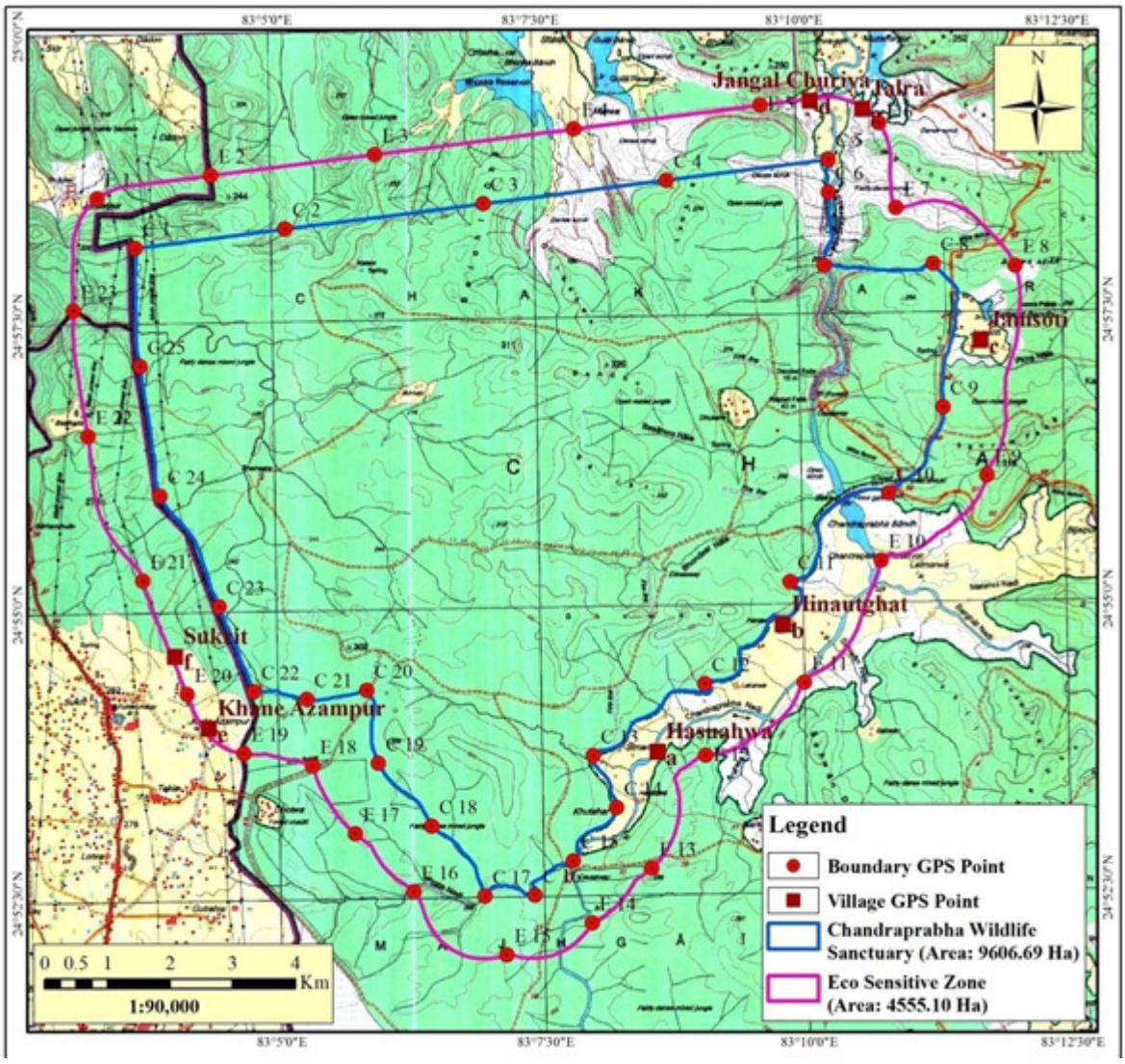

उपाबंध-II ख

चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के सीमा वर्णन और अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि-उपयोग मानचित्र

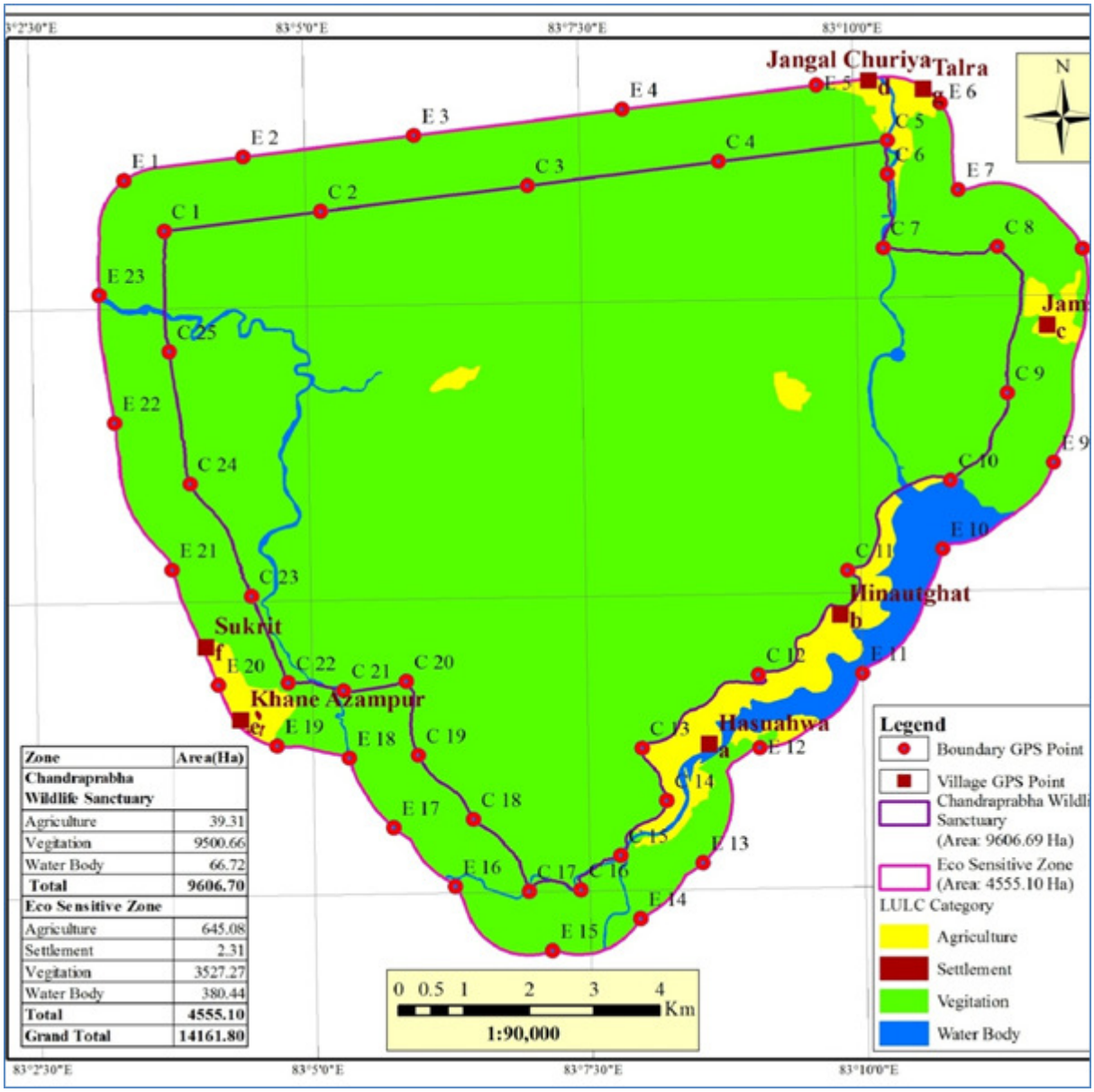

Zone	Area(Ha)
Chandraprabha Wildlife Sanctuary	
Agriculture	39.31
Vegitation	9500.66
Water Body	66.72
Total	**9606.70**
Eco Sensitive Zone	
Agriculture	645.08
Settlement	2.31
Vegitation	3527.27
Water Body	380.44
Total	**4555.10**
Grand Total	**14161.80**

उपाबंध II ग

मुख्य बिंदुओं के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

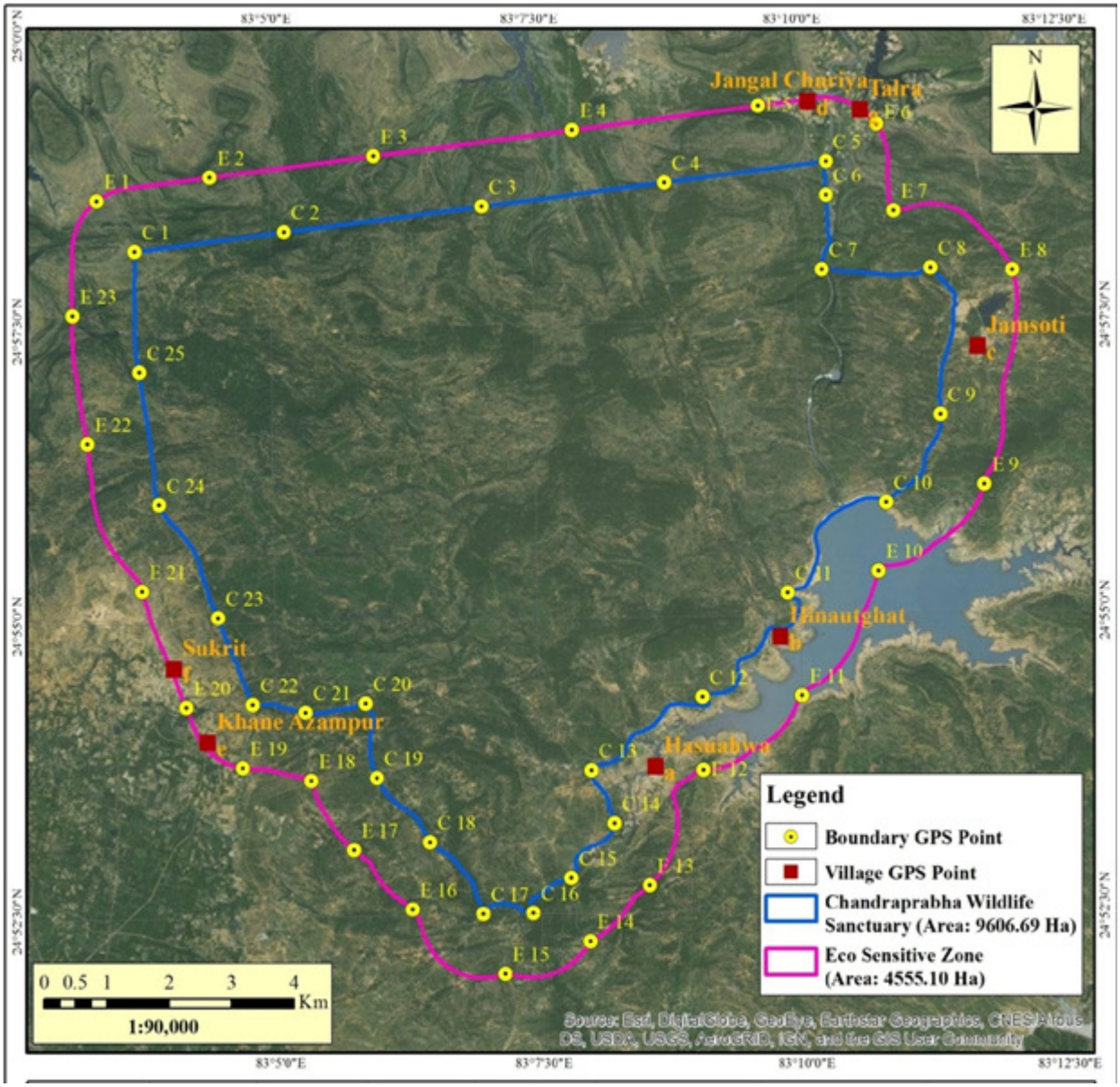

उपाबंध III-क

सारणी क: चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांकों को दशार्ने वाला मानचित्र

चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के जीपीएस (भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली) निर्देशांक		
(भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली) जीपीएस के बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
सी 1	24º58' 09.462" उ	83º03' 42.793" पू
सी 2	24º58' 18.248" उ	83º05' 08.145" पू
सी 3	24º58' 29.863" उ	83º07' 01.175" पू
सी 4	24º58' 40.599" उ	83º08' 45.842" पू
सी 5	24º58' 50.045" उ	83º10' 18.116" पू
सी 6	24º58' 32.992" उ	83º10' 17.810" पू
सी 7	24º57' 55.267" उ	83º10' 14.909" पू
सी 8	24º57' 55.159" उ	83º11' 17.131" पू
सी 9	24º56' 40.675" उ	83º11' 21.275" पू
सी 10	24º55' 56.442" उ	83º10' 49.606" पू
सी 11	24º55' 11.233" उ	83º09' 52.596" पू
सी 12	24º54' 18.810" उ	83º09' 03.064" पू
सी 13	24º53' 42.374" उ	83º07' 59.164" पू
सी 14	24º53' 15.335" उ	83º08' 11.972" पू
सी 15	24º52' 47.816" उ	83º07' 46.614" पू
सी 16	24º52' 30.482" उ	83º07' 24.672" पू
सी 17	24º52' 30.288" उ	83º06' 56.106" पू
सी 18	24º53' 07.199" उ	83º06' 26.338" पू
सी 19	24º53' 40.283" उ	83º05' 56.656" पू
सी 20	24º54' 18.050" उ	83º05' 50.795" पू
सी 21	24º54' 13.871" उ	83º05' 16.530" पू
सी 22	24º54' 18.184" उ	83º04' 46.474" पू
सी23	24º55' 02.572" उ	83º04' 27.304" पू
सी24	24º56' 00.539" उ	83º03' 54.648" पू
सी25	24º57' 07.967" उ	83º03' 44.453" पू

उपाबंध III-ख

सारणी ख: संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांको को दर्शाने वाला मानचित्र

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जीपीएस (भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली) निर्देशांक		
(भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली) जीपीएस के बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
ई 1	24º 58' 35.349" उ	83º 03' 21.246" पू
ई2	24º 58' 46.641" उ	83º 04' 26.286" पू
ई 3	24º 58' 56.248" उ	83º 05' 59.684" पू
ई 4	24º 59' 07.944" उ	83º 07' 53.612" पू
ई 5	24º 59' 18.821" उ	83º 09' 39.791" पू
ई 6	24º 59' 08.631" उ	83º 10' 47.357" पू
ई 7	24º 58' 24.463" उ	83º 10' 56.270" पू
ई 8	24º 57' 53.555" उ	83º 12' 03.647" पू
ई 9	24º 56' 04.850" उ	83º 11' 45.821" पू
ई 10	24º 55' 21.513" उ	83º 10' 44.706" पू
ई 11	24º 54' 18.783" उ	83º 09' 59.867" पू
ई 12	24º 53' 41.762" उ	83º 09' 03.172" पू
ई 13	24º 52' 43.559" उ	83º 08' 31.395" पू
ई 14	24º 52' 15.477" उ	83º 07' 56.907" पू
ई 15	24º 51' 59.757" उ	83º 07' 08.283" पू
ई 16	24º 52' 33.133" उ	83º 06' 15.867" पू
ई 17	24º 53' 03.647" उ	83º05' 42.960" पू

ई 18	24º 53' 39.328" उ	83º 05' 19.259" पू
ई 19	24º 53' 46.108" उ	83º 04' 40.107" पू
ई 20	24º 54' 17.444" उ	83º 04' 08.462" पू
ई 21	24º 55' 16.508" उ	83º 03' 44.194" पू
ई 22	24º 56' 31.931" उ	83º 03' 14.134" पू
ई 23	24º 57' 37.267" उ	83º 03' 06.809" पू

उपाबंध IV

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

ग्राम जीपीएस कोड	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
ए.	हसुवा	24º 53' 43.901" उ	83º08' 35.902" पू
बी.	हीनायतघाट	24º 54' 48.780" उ	83º09' 48.301" पू
सी.	जमसोटी	24º 57' 14.940" उ	83º11' 43.501" पू
डी.	जंगल चुरीया	24º 59' 20.562" उ	83º10' 08.573" पू
ई.	खान- आजमपुर	24º 53' 59.460" उ	83º04' 20.460" पू
एफ.	सुकरित	24º 54' 36.976" उ	83º04' 01.952" पू
जी.	तालरा	24º 59' 16.001" उ	83º10' 38.201" पू

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश। (पारिस्थितिकी संवेदी जोन-वार) ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2019

S.O. 110(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 230(E) dated the 15th January, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 15th January 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Chandraprabha Wildlife Sanctuary is situated about 65 kilometres from district Head Quarter Chandauli and about 75 kilometres from Varanasi and is spread over an area of **96.066 square kilometres**;

AND WHEREAS, the eastern boundary of Chandraprabha Wildlife Sanctuary is formed by Chakia-Naugarh Road, Chandraprabha Dam, Chandraprabha River and the left banks of Phanta River are on the southern boundary; the eastern boundary of the sanctuary touches the boundary of Mirzapur Forest Division; the northern boundary is surrounded by the reserve forest of Jaimohani Range and the protected area of Chandraprabha Wildlife Sanctuary; the area is rich in several species of wildlife such as striped hyena (*Hyaena hyaena),* leopard (*Panthera pardus),* sloth bear (*Melursus ursinus),* jungle cat (*Felis chaus),* small Indian civet (*Viverricula indica),* common mangoose (*Herpestes eduwardsi),* small India mangoose (*Herpestes auropunctatus),* wolf (*Canis lupus),* jackal (*Canis aureus),* Indian fox (*Vulpes bengalensis),* wild boar (*Sus scrofa*), chital (*Axis axis*), chinkara or Indian gazella (*Gazella gazelle*), sambar (*Rusa unicolor*), four-horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), nilgai or blue bul (*Boselaphus tragocamelus*), gharial (*Gavialis gangeticus*), rock python (*Python molurus*), etc. and about 200 species of birds are also found in the sanctuary, Two beautiful waterfalls called Rajdari and Devdari are situated in the sanctuary; the Sanctuary is rich with plant species like babul (*Acacia nilotica),* acacia (*Acacia auriculiformis),* cashoo (*Acacia catechu),* white bark acacia (*Acacia leucophloea),* haldu (*Adina cordifolia),* bael (*Aegle marmelos),* adusa (*Adhatoda vasica),* century plant (*Agave Americana),* sisal (*Agave sissalania),* satavar (*Asparagus racemosus),* hingot (*Balanites*), etc.;

AND WHEREAS, formerly this area was a sea-coast and marshy revenue waste land of villages of Chuanduali district and to prevent salinity ingress and to reclaim the land the erstwhile Sant Kabir State and subsequently the Government of Uttar Pradesh constructed a reclamation bund along the coast, which made a remarkable change and improvement in the situation that prevailed in the past as large pond of freshwater has emerged and this supports a variety of natural aquatic vegetation which in turn supports numerous migratory and resident birds in this area and it is also suitable for their roosting and nesting; Chandraprabha Wildlife Sanctuary was created in 1957 (1st Wildlife Sanctuary of Uttar Pradesh) vide G.O. No 263 dated 28.02.1957;

AND WHEREAS, the wetland eco-system of Chandraprabha is a wintering ground for migratory waterfowls from Palearcticregion and serves as an important wintering and breeding ground for many species of wetland birds; and an uncommon breeder in India, Great crested grebe, (*Podiceps cristatus*), is reported breeding in this sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Chandraprabha Wildlife Sanctuary, as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the

Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to one kilometre from the boundary of the protected area of Chandraprabha Wildlife Sanctuary Sant Kabir Nagar in the State of Uttar Pradesh as the Chandraprabha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) Eco-sensitive Zone shall be an extent of **one kilometre** all around the protected area with an Eco-sensitive Zone area of **45.551 square kilometres.**

   (2) The boundary description of Chandrabrabha Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure- I.**

   (3) The map of Chandraprabha Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure–IIC.**

   (4) The geo-coordinates of Chandraprabha Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-IIIA** and **Annexure-IIIB.**

   (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
   (i) Environment;
   (ii) Forest and Wildlife;
   (iii) Agriculture;
   (iv) Revenue;
   (v) Urban Development;
   (vi) Tourism;
   (vii) Rural Development;
   (viii) Irrigation and Flood Control;
   (ix) Municipal;
   (x) Panchayati Raj; and
   (xi) Public Works Department.

   (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

   (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

   (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

   (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

   (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

   (9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

   (10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:
Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism.-

(a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer; provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific

scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of the notification in the official Gazette and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of the notification in the official Gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder as amended from time to time.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder and amended from time to time.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder as amended from time to time.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable component;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) the inorganic material may be disposed in an environment acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.– The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management. - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws, efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units.– (a) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification and non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **Prohibited, regulated and promoted activities.-** All activities in the Eco Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for the manufacture of country tiles or bricks for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification and non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
17.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, comprising of the following, namely:-

1.	District Magistrate, Chandauli	Chairman
2.	Superintendent of Police/ Senior Superintendent of Police, Chandauli	Member
3.	One representative of a Non-Governmental Organization (NGO) working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India	Member
4.	Executive Engineer of PWD, Chandauli	Member
5.	Expert Ecology	Member
6.	Expert Biodiversity	Member
7.	Executive Engineer of Irrigation Department, Chandauli	Member
8.	District Agriculture Officer, Chandauli	Member
9.	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Chandauli	Member
10.	Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi	Member Secretary.

6. Terms of Reference. –

(1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the

Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/37/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I
BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North: The Boundary of Eco-sensitive Zone starts at N 25°58`09.46``N 83°03'42.79" E on protected forest of Chandraprabha Wildlife Sanctuary and runs on north-east direction till it reaches the At Chandraprabha River at the Global Positioning System point 24°.58`48.78" N 83°10'15.78"E.

East: From the above point the lines runs southwards at the Chakia-Naugarh metal road (Sh-97) at the Global Positioning System point 24°57`42.06" N 83°11'29.85" E and runs on east-south direction till it reaches the point of the village Jamsoti at the Global Positioning System points 24° 57`14.94 N and 83°11'43.50 E".

South: From the above point the boundary runs south along the village Hinautghatat the Global Positioning System point 24°54'48.78 N" 83°09'48.30" E till it reaches the point of the village Semariya at the Global Positioning System point 24°.53'53.34"N and 83°·07'5436 E" and runs on south direction till it reaches the point of the village Khuthahar at the Global Positioning System point 24°53'38.28" N and 83°07'52.86" E. Further boundary runs through the Chandraprabha Dam the Global Positioning System point 24°53'43.90" N 83°08'35.90" E.

West: From the above point the boundary runs south-west direction at Khaneajampur at the Global Positioning System point 24°53'5946"N 83°04'2046"N and runs on west-north direction till it reaches the village Sukrit at the Global Positioning System point 24°54'36.97"N 83°04'01.95"E. Then lines runs along with reserve forest of Mirzapur division at the Global Positioning System points 24°55'50.93"N, 83°03'20.31"E and 24°56'03.41"N 83°03'53.47"E; then, runs all along the interstate boundary till it reaches the starting point.

ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

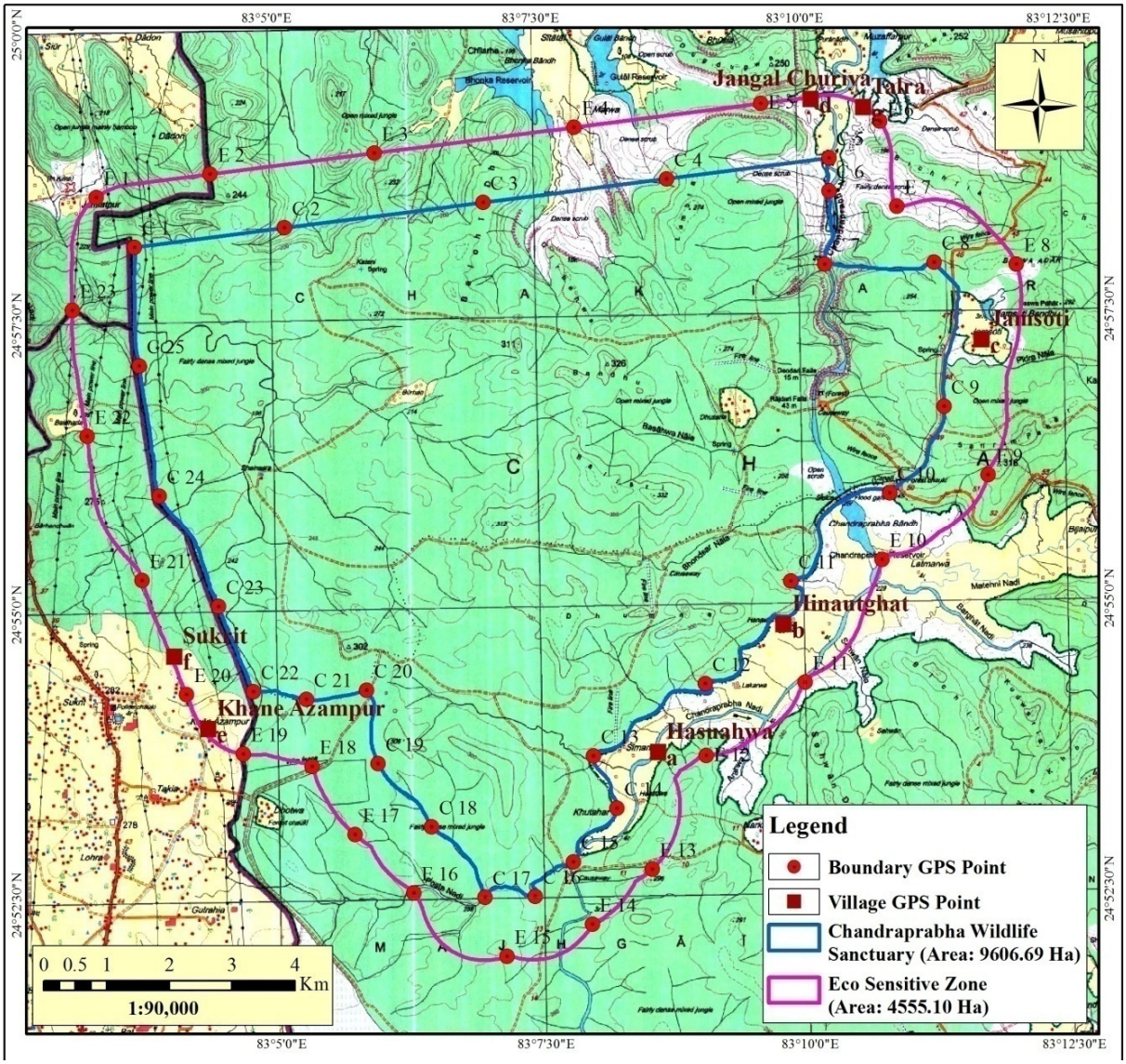

ANNEXURE-IIB

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH BOUNDARY DETAILS AND LONGITUDES AND LATITUDES OF CHANDRAPRABHA WILDLIFE SANCTUARY

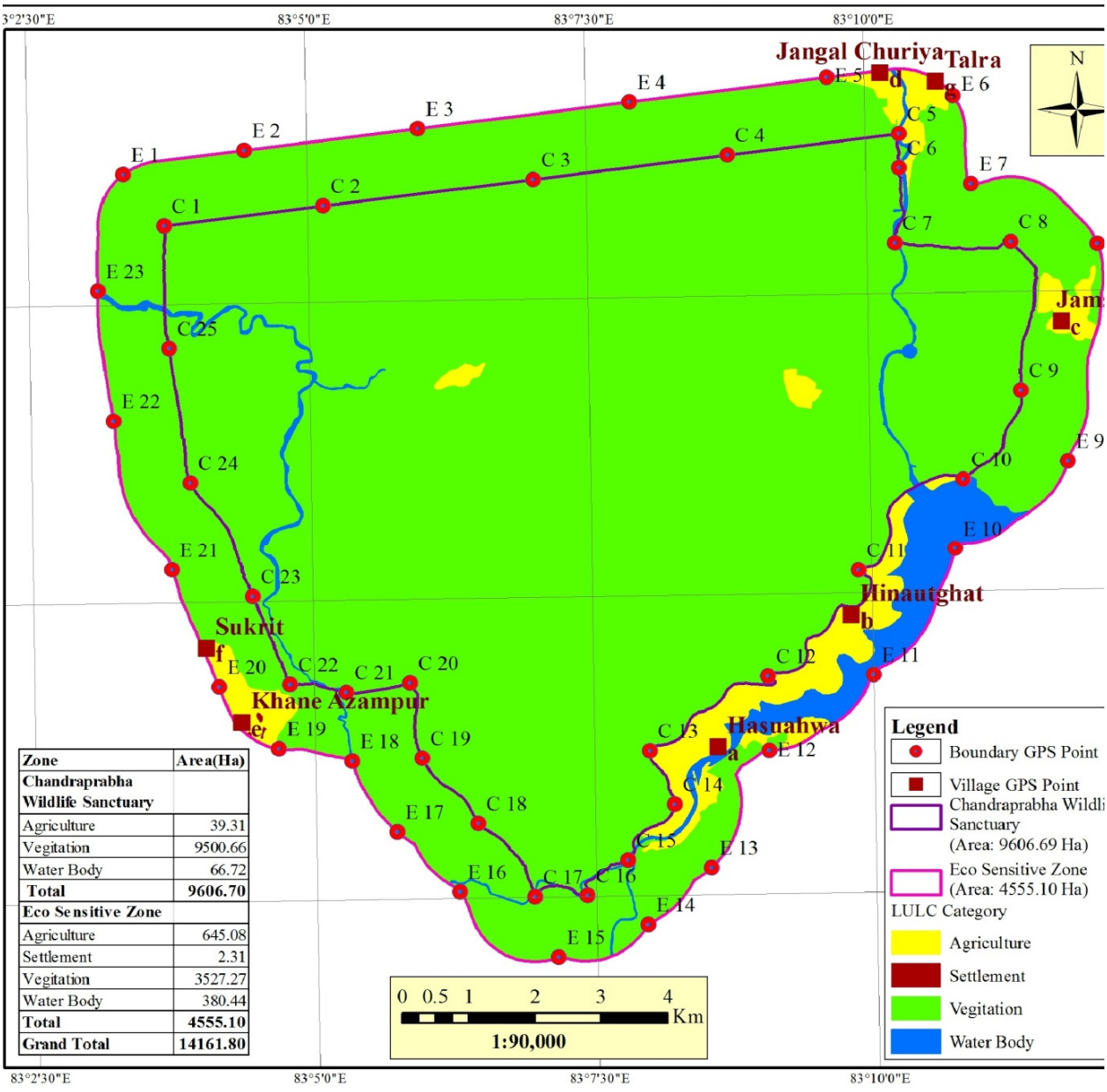

Zone	Area(Ha)
Chandraprabha Wildlife Sanctuary	
Agriculture	39.31
Vegitation	9500.66
Water Body	66.72
Total	**9606.70**
Eco Sensitive Zone	
Agriculture	645.08
Settlement	2.31
Vegitation	3527.27
Water Body	380.44
Total	**4555.10**
Grand Total	**14161.80**

ANNEXURE-IIC

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH PROMINENT POINTS

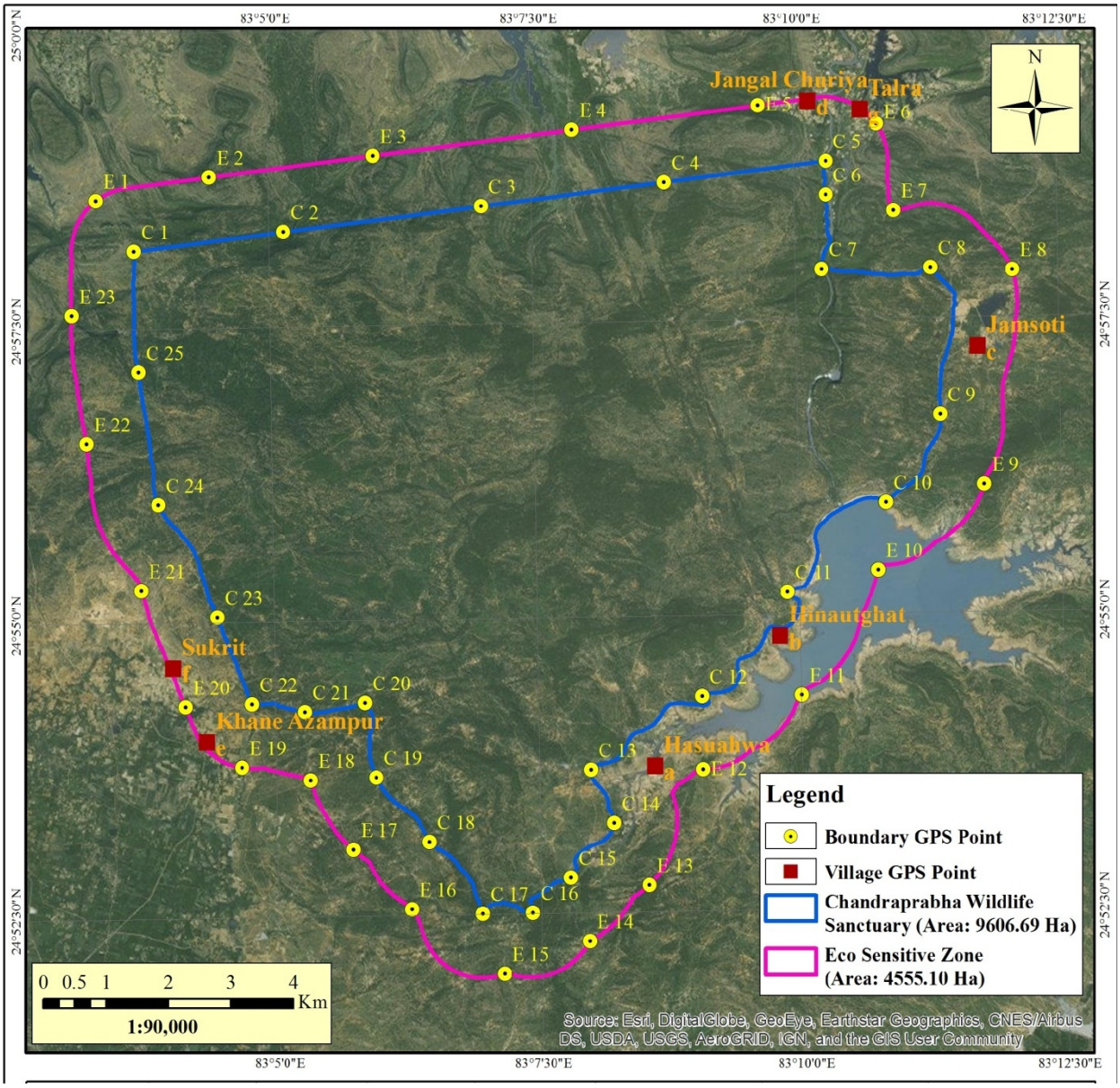

ANNEXURE-IIIA

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF CHANDRAPRABHA WILDLIFE SANCTUARY AS SHOWN ON MAP

GPS (Global Positioning System) Coordinates of Chandraprabha Wildlife Sanctuary		
GPS (Global Positioning System) Point Code	**Latitude**	**Longitude**
C 1	$24^0$58' 09.462" N	$83^0$03' 42.793" E
C2	$24^0$58' 18.248" N	$83^0$05' 08.145" E
C3	$24^0$58' 29.863" N	$83^0$07' 01.175" E
C4	$24^0$58' 40.599" N	$83^0$08' 45.842" E

C5	24^{0}58' 50.045" N	83^{0}10' 18.116" E
C6	24^{0}58' 32.992" N	83^{0}10' 17.810" E
C7	24^{0}57' 55.267" N	83^{0}10' 14.909" E
C8	24^{0}57' 55.159" N	83^{0}11' 17.131" E
C9	24^{0}56' 40.675" N	83^{0}11' 21.275" E
C10	24^{0}55' 56.442" N	83^{0}10' 49.606" E
C11	24^{0}55' 11.233" N	83^{0}09' 52.596" E
C12	24^{0}54' 18.810" N	83^{0}09' 03.064" E
C13	24^{0}53' 42.374" N	83^{0}07' 59.164" E
C14	24^{0}53' 15.335" N	83^{0}08' 11.972" E
C15	24^{0}52' 47.816" N	83^{0}07' 46.614" E
C16	24^{0}52' 30.482" N	83^{0}07' 24.672" E
C17	24^{0}52' 30.288" N	83^{0}06' 56.106" E
C18	24^{0}53' 07.199" N	83^{0}06' 26.338" E
C19	24^{0}53' 40.283" N	83^{0}05' 56.656" E
C20	24^{0}54' 18.050" N	83^{0}05' 50.795" E
C21	24^{0}54' 13.871" N	83^{0}05' 16.530" E
C22	24^{0}54' 18.184" N	83^{0}04' 46.474" E
C23	24^{0}55' 02.572" N	83^{0}04' 27.304" E
C24	24^{0}56' 00.539" N	83^{0}03' 54.648" E
C25	24^{0}57' 07.967" N	83^{0}03' 44.453" E

ANNEXURE-IIIB

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA SHOWN ON MAP

GPS (Global Positioning System) Coordinates of Eco-sensitive Zone		
GPS (Global Positioning System) Point Code	**Latitude**	**Longitude**
E1	24^0 58' 35.349" N	83^0 03' 21.246" E
E2	24^0 58' 46.641" N	83^0 04' 26.286" E
E3	24^0 58' 56.248" N	83^0 05' 59.684" E
E4	24^0 59' 07.944" N	83^0 07' 53.612" E
E5	24^0 59' 18.821" N	83^0 09' 39.791" E
E6	24^0 59' 08.631" N	83^0 10' 47.357" E
E7	24^0 58' 24.463" N	83^0 10' 56.270" E
E8	24^0 57' 53.555" N	83^0 12' 03.647" E
E9	24^0 56' 04.850" N	83^0 11' 45.821" E
E10	24^0 55' 21.513" N	83^0 10' 44.706" E
E11	24^0 54' 18.783" N	83^0 09' 59.867" E

E12	24^0 53' 41.762" N	83^0 09' 03.172" E
E13	24^0 52' 43.559" N	83^0 08' 31.395" E
E14	24^0 52' 15.477" N	83^0 07' 56.907" E
E15	24^0 51' 59.757" N	83^0 07' 08.283" E
E16	24^0 52' 33.133" N	83^0 06' 15.867" E
E17	24^0 53' 03.647" N	$83^0$05' 42.960" E
E18	24^0 53' 39.328" N	83^0 05' 19.259" E
E19	24^0 53' 46.108" N	83^0 04' 40.107" E
E20	24^0 54' 17.444" N	83^0 04' 08.462" E
E21	24^0 55' 16.508" N	83^0 03' 44.194" E
E22	24^0 56' 31.931" N	83^0 03' 14.134" E
E23	24^0 57' 37.267" N	83^0 03' 06.809" E

ANNEXURE-IV
LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Village Global Positioning System Code	Village Name	Latitude	Longitude
a.	Hasuahwa	24^0 53' 43.901" N	$83^0$08' 35.902" E
b.	Hinautghat	24^0 54' 48.780" N	$83^0$09' 48.301" E
c.	Jamsoti	24^0 57' 14.940" N	$83^0$11' 43.501" E
d.	Jangal Churiya	24^0 59' 20.562" N	$83^0$10' 08.573" E
e.	Khane Azampur	24^0 53' 59.460" N	$83^0$04' 20.460" E
f.	Sukrit	24^0 54' 36.976" N	$83^0$04' 01.952" E
g.	Talra	24^0 59' 16.001" N	$83^0$10' 38.201" E

Annexure-V

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.12 15:21:54 +05'30'